संख्या-71/2023/001-22-4-2023-1051-2023

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 21 नवंबर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष-2023-24 में विभिन्न कारागारों में विभिन्न निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-32925/नम-3/कार्य योजना/2023-24, दिनांक-06-11-2023 एवं पत्र संख्या-32930/नम-3/कार्य योजना/2023-24, दिनांक-06-11-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में अलग-अलग 34 निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित लागत की धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति सहित स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रु0** 1434.88 **लाख (रूपये चौदह करोड़ चौतीस लाख अठ्ठासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र 0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	लागत की धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला कारागार, देवरिया	16 क्षमता की डारमेट्री का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	54.17	54.17
2	जिला कारागार, सीतापुर	गोदाम 04 नग का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	52.22	52.22
3	केन्द्रीय कारागार,	सेन्ट्रल वॉच टावर का	उ0प्र0 विधायन एवं	30.05	30.05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वाराणसी	निर्माण	निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)		
4	केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	कन्ट्रोल रूम का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	7.99	7.99
5	जिला कारागार,वाराणसी	डारमेट्री (16 क्षमता) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	50.39	50.39
6	जिला कारागार,वाराणसी	सेन्ट्रल वाच टावर का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	30.05	30.05
7	जिला कारागार,वाराणसी	कार्नर वाच टावर (02नग) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	29.33	29.33
8	केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़	आर्मरी (शस्त्रागार)(01नग) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	9.59	9.59
9	जिला कारागार, बस्ती	पुराने जीर्ण-शीर्ण गोदाम के स्थान पर दो नग कार्यालय कक्ष का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	30.89	30.89
10	जिला कारागार, बस्ती	विद्युत पैनल कक्ष का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	10.22	10.22
11	जिला कारागार, बस्ती	सी0सी0टी0वी0 कैमरा कन्ट्रोल रूम का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	10.14	10.14
12	जिला कारागार, बस्ती	कारागार के अन्दर जल निकासी हेतु 475 मीटर नयी नाली का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	25.98	25.98

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13	जिला कारागार, बस्ती	गिर्दा से बैरक संख्या-9ए बी तक आने जाने के लिए 150 मी आर0सी0सी0 रोड का निर्माण (03मी चौड़ाई)	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	15.86	15.86
14	जिला कारागार, बस्ती	कार्नर वाच टावर (04नग) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	61.85	61.85
15	जिला कारागार, बुलन्दशहर	डारमेट्री 01 नग (16 क्षमता) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	50.00	50.00
16	जिला कारागार, गाजियाबाद	05 नग गोदाम का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	75.16	75.16
17	जिला कारागार, गाजियाबाद	परिसर में कारागार में निर्मित सामग्रियों के विक्रय हेतु आउट लेट (शेड) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	9.07	9.07
18	जिला कारागार, सहारनपुर	प्री-फैब्रिकेटेड शेड (कारागार के अन्दर मुलाकात हेतु) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	25.66	25.66
19	उप कारागार, देवबन्द	कैम्पस बाउण्ड्रीवाल (लगभग 835 र0मी) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	90.91	90.91
20	उप कारागार, देवबन्द	02 नग गोदाम का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	23.83	23.83
21	उप कारागार, देवबन्द	कार्नर वॉच टावर 03 नग का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	45.18	45.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22	उप कारागार, देवबन्द	कारागार परिसर में पुलिस चौकी का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	31.84	31.84
23	केन्द्रीय कारागार, आगरा	कैम्पस बाउण्ड्रीवाल (लगभग 600 मी) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	71.22	71.22
24	जिला कारागार, मैनपुरी	सेन्ट्रल वॉच टावर मय कैण्टीन व किचन का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	66.41	66.41
25	जिला कारागार, मैनपुरी	कार्नर वॉच टावर (01 नग) का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	15.34	15.34
26	जिला कारागार, मेरठ	गौशाला हेतु शेड का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	61.60	61.60
27	जिला कारागार, बिजनौर	02 नग कार्यालय कक्ष का निर्माण	उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफैड)	29.11	29.11
28	जिला कारागार, पीलीभीत	डारमेट्री 01 नग (16 क्षमता) का निर्माण	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	50.86	50.86
29	जिला कारागार, उरई	उप कारापाल आवास पर सुरक्षा के दृष्टिगत बाउण्ड्रीवाल (लगभग 45 मी) का निर्माण	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	7.60	7.60
30	जिला कारागार, उरई	बेकरी हेतु कक्ष का निर्माण	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	13.02	13.02
31	जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	03 नग गोदाम का निर्माण	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	45.03	45.03
32	जिला कारागार, बाराबंकी	कृषि फार्म की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	10.18	10.18

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(लगभग 100मी0)			
33	जिला कारागार हमीरपुर	मुलाकात बरामदा की छत, गल्ला गोदाम की छत, कम्बल गोदाम की छत एवं कार्यालय की छत बदलने/मरम्मत का कार्य	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	42.17	42.17
34	जिला कारागार, रायबरेली	मल्टीपरपज हॉल का निर्माण	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कार्पोरेशन लि0	251.96	251.96
योग				**1434.88**	**1434.88**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा आवश्यकता/नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्यियरेन्सि सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा ।

(3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

(4) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये नही किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दि 0 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(7) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा ।

(8) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा ।

(10) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(11) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारभ कराया जाए।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का प्रशिक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक , कारागार का होगा।

(13) निर्माणकार्य हेतु कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(14) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(15) महानिरीक्षक कारागार निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्ती य प्रगति तथा कार्य की गुणवत्ता आदि की प्रगति के संबंध में अपने स्तगर से समीक्षा करते हुए प्रगति आख्याी शासन को उपलब्धा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 14,34,88,000 (रुपये चौदह करोड़ चौंतीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001200 कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-71/2023/001-22-4-2023-1051-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड) लखनऊ।

(4) प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।

(5) जिलाधिकारी, देवरिया, सीतापुर, वाराणसी, फतेहगढ़, बस्ती, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर देवबन्द, आगरा, मैनपुरी, मेरठ, बिजनौर, पीलीभीत, उरई, गौतमबुद्धनगर, बाराबंकी, हमीरपुर, रायबरेली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जिला कारागार, देवरिया, सीतापुर, वाराणसी, बस्ती, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मैनपुरी, मेरठ, बिजनौर, पीलीभीत, उरई, गौतमबुद्धनगर, बाराबंकी, हमीरपुर रायबरेली/ केन्द्रीय कारागार वाराणसी, फतेहगढ़, आगरा, एवं उप कारागार देवबन्दा

(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(8) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(9) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(10) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।

(11) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्यय) अनुभाग-1/2

(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।